

कार्यालय, उप निदेशक महिला अधिकारिता अलवर (राज0)

Email Id: alwar.we@rajasthan.gov.in

क्रमांक:- 4060

0144-2342522

दिनांक:- 18-1-2022

विज्ञप्ति

अलवर जिले में नवीन पुलिस जिला भिवाड़ी में महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र संचालित किया जाना है। इस हेतु महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र नियमन एवं अनुदान योजना (संशोधित) 2017 एव शासन सचिव महिला एवं बाल विकास विभाग राज0 जयपुर के आदेश दिनांक 26.08.2019 के नियम 6 के अनुसरण में नियम 7 में वर्णित पात्रताधारी गैर शासकीय संस्थाओं से एतद्वारा प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं।

आवेदन निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 28.01.2022 सांय 4 बजे तक कार्यालय उपनिदेशक महिला अधिकारिता कलैक्ट्रेट परिसर महल चौक अलवर में प्रस्तुत किये जा सकते हैं। आवेदन का प्रारूप पात्रता की शर्तें तथा अधिसूचना विभागीय वेबसाईट www.wcd.rajasthan.gov.in से डाउनलोड किये जा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिये कार्यालय उपनिदेशक महिला अधिकारिता कलैक्ट्रेट परिसर अलवर से संपर्क किया जा सकता है।



(रिषीराज सिंगल)

उपनिदेशक,

महिला अधिकारिता अलवर

प्रकाशन के लिये नहीं

क्रमांक:- 4061-68

दिनांक:- 18-1-2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. श्रीमान आयुक्त, आयुक्तालय महिला अधिकारिता, राज0 जयपुर।
2. श्रीमान जिला कलक्टर अलवर।
3. श्रीमान पुलिस अधीक्षक, भिवाड़ी जिला अलवर।
4. श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद अलवर।
5. संपादक, दैनिक भास्कर अलवर को भेजकर लेख है कि दैनिक भास्कर के अलवर संस्करण में न्यूनतम साईज में डी.पी.आई.आर की दरो पर प्रकाशन करावें।
6. प्रोग्रामर, निदेशालय, महिला अधिकारिता, राज0 जयपुर को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. नोटिस बोर्ड, कार्यालय हाजा।



उपनिदेशक,

महिला अधिकारिता अलवर,